अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



47
17.03.2023

# न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं० 05 आर० 28 / 2018–19

1. श्रीमति मिनौती पॉल पति स्व० वि  वनाथ पॉल

2. दीपक पॉल पिता स्व० विश्वनाथ पॉल

निवासी 34, रफी अहमद किदवई रोड, कोलकता, थाना दमदम,

जिला नॉर्थ 24 परगना (प० बं०) ............ आवेदक

बनाम

जरिया देवी बुधिया,

द्वारा

1. अध्यक्ष, श्री बासुदेव प्रसाद बुधिया पिता स्व० मदन लाल बुधिया

2. सचिव, श्री सच्चिदानन्द बुधिया पिता स्व० महाबीर प्रसाद बुधिया

निवासी अपर बाजार, संकट मोचन मंदिर के पास, थाना कोतवाली, जिला रॉची ........... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद को आवेदक ने विपक्षी के नाम से मौजा अरसंडे, थाना कॉके, थाना सं० 159, जिला रॉची के अन्तर्गत खाता सं० 49, प्लॉट सं० 1447 रकबा 2.95 एकड एवं खाता सं० 115, प्लॉट सं० 1449 रकबा 3. 12 एकड एवं खाता सं० 149, प्लॉट सं० 1448 रकबा 0.93 एकड एवं खाता सं० 436, प्लॉट सं० 1451 रकबा 1.41 एकड एवं खाता सं० 74 प्लॉट सं० 1444 रकबा 0.48 एकड एवं खाता सं० 139 प्लॉट सं० 1450 / 1736 रकबा 0.44 एकड भूमि के बावत कायम जमाबंदी को रद्द

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



करने के प्रार्थना के साथ दायर किया है।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के संबंधित स्वत्व वाद सं० 67/2000 एवं 361/2014 क्रमशः विद्वान अवर न्यायाधीश VII एवं XIV के न्यायालय मे लंबित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय मे रिट याचिका डब्लु० पी० (सी०) सं० 3347/2022 भी दायर किया गया है, जो वर्त्तमान मे लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त करने की प्रर्थाना किया गया है।

आवेदक के द्वारा भी सी०पी०सी० के आदेश XXIII नियम 3 के अन्तर्गत नये सिरे से वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत वाद को वापस (Withdraw) करने का प्रर्थाना किया गया है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को समाप्त करने का प्रर्थाना किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.23 15:58:02 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d